भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 7

(दिनांक 07.12.2022 को उत्तर के लिए)

सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामले

7. श्री केसिनेनी श्रीनिवास :
श्री बी. मणिक्कम टैगोर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश भर में सूचना आयोगों के पास सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत बड़ी संख्या में शिकायतें और अपीलें लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आयोगों में हर वर्ष लंबित अपीलों या शिकायतों की संख्या बढ़ती जा रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सूचना आयोग सहित कई आयोग निर्धारित सदस्य क्षमता से कम सदस्यों के साथ कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सूचना आयोग के पास वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार सूचना आयुक्तों की नियुक्तियां समय पर करने में विफल रही है और सूचना आयुक्तों के 165 पदों में से 42 पद अभी भी रिक्त हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) देश भर में सूचना आयोगों में महिलाओं की सूचना आयुक्तों और मुख्य सूचना आयुक्त के पदों पर प्रतिनिधित्व का ब्यौरा और प्रतिशत क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपीलों/शिकायतों के संबंध में राज्य-वार आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रखे जाते हैं। तथापि, जहां तक केंद्रीय सूचना आयोग का संबंध है, केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित लंबित मामलों की स्थिति निम्नलिखित है:

सं.	वर्ष (31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार)	लंबित दूसरी अपीलों/शिकायतों की संख्या
1	2021	38116
2	2022	29213
3	30 नवम्बर, 2022	19289

(ग), (घ), (ड.) और (च) : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 12(2) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

क) मुख्य सूचना आयुक्त और
ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।

वर्तमान में, केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सात सूचना आयुक्त कार्यरत हैं। इन 7 सूचना आयुक्तों में से तीन महिलाएं हैं।

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 15 के अनुसार, राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को भरने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों का विषय है। राज्य सूचना आयोगों में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों से संबंधित आंकड़ों का रखरखाव राज्यों द्वारा किया जाता है।

****